

कार्यालय सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1(ता०ट्रि०), लो०नि०वि०, आगरा

पत्रांक: 288/1B अवन -2021

दिनांक: 2-9-2021

सेवा में,

प्रबन्धक,

लार्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल स्कूल यूनिट-II,

रायभा, रुनकता बाईपास रोड,


आगरा।

बिषय:-जनहित याचिका संख्या-483/2004 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य
में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.04.2009 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक LKPS-24 Aug-1/2021 दिनांक 24.08.2021


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि लार्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल स्कूल यूनिट-II, रायभा, रुनकता बाईपास रोड, आगरा के विद्यालय भवन का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा कर लिया गया है। निरीक्षण में पाया गया कि उक्त विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं वर्तमान में विद्यालय भवन पूर्णतः सुरक्षित एवं मजबूत है। वॉछित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। संलग्न-प्रमाण पत्र।


सहायक अभियन्ता
नि०ख०-1(ता०ट्रि०) लो०नि०वि०, आगरा
Assistant Engineer IV
L.N.V.
GRA
2/9/21

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय लार्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल स्कूल यूनिट-II, रायभा, रुनकता बाईपास रोड, आगरा, का स्थलीय निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया गया है। वर्तमान में विद्यालय भवन पूर्णतः सुरक्षित एवं मजबूत है।



अवर अभियन्ता

नि०ख०-1(ता०ट्रि०), लो०नि०वि०,
आगरा